संख्या-62/2024/552/सैंतीस-2-2024/003-1(35)/2014टीसी1

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(अंकित विवरणानुसार),
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-23 मार्च, 2024

विषयः- **आर.आई.डी.एफ.-29 में नाबार्ड द्वारा अनुमोदित 96 पशुचिकित्सालयों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-491/सा0-1/एक्स-120(188)/आर.आई.डी.एफ.-29/2020-21, दिनांक-05.03.2024 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-96/2023/1937/सैंतीस-2-2023-1(35)/2014टीसी1, दिनांक-25.08.2023 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-08-पशु चिकित्सालयों का निर्माण-आर.आई.डी.एफ. (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष आर.आई.डी.एफ.-29 में नाबार्ड द्वारा अनुमोदित 96 पशुचिकित्सालयों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु निम्न विवरणानुसार द्वितीय किश्त के रूप में कुल रू0-2500.00 लाख (रूपये पच्चीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैंः-

क्र0	पशुचिकित्सालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
1	बछरांव	धनौरा	अमरोहा	26.045
2	उझेरी	हसनपुर	अमरोहा	26.045
3	बानी	मवई	अयोध्या	26.045
4	हैरिंग्टनगंज	हरिंग्टनगंज	अयोध्या	26.045
5	पिलाना	पिलाना	बागपत	26.045
6	नगला ख्वाजा	छपरौली	बागपत	26.045
7	रेहड़ा बाजार	रेहरा बाजार	बलरामपुर	26.045
8	देवा	देवा	बाराबंकी	26.045
9	भमौरा	आलमपुर जाफराबाद	बरेली	26.045
10	धौराटाण्डा	भोजीपुरा	बरेली	26.045
11	कुआडंडा	कुआंडाण्डा	बरेली	26.045
12	मुंडेरवा	बनकटी	बस्ती	26.045
13	नन्दनगर	परशुरामपुर	बस्ती	26.045
14	रूदौली	रूधौली	बस्ती	26.045
15	सल्टौवा	सल्टौवा	बस्ती	26.045
16	धारूवाला	मो0पुर देवमल	बिजनौर	26.045
17	हल्दौर	हल्दौर	बिजनौर	26.045
18	जलीलपुर	जलीलपुर	बिजनौर	26.045
19	खुराहेड़ी	मो0पुर देवमल	बिजनौर	26.045
20	नगीना	कोतवाली	बिजनौर	26.045
21	नूरपुर	नूरपुर	बिजनौर	26.045

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

22	सेरकदा	धामपुर	बिजनौर	26.045
23	चकरघट्टा	नौगढ़	चन्दौली	26.045
24	सदर	सदर	चन्दौली	26.045
25	मालवां	मलवां	फतेहपुर	26.045
26	मुरादनगर	मुरादनगर	गाजियाबाद	26.045
27	बिर्नो	बिरनो	गाजीपुर	26.045
28	जमनिया	जमानियां	गाजीपुर	26.045
29	कासिमाबाद	कासिमाबाद	गाजीपुर	26.045
30	सैदपुर	सैदपुर	गाजीपुर	26.045
31	सावना	सैदपुर	गाजीपुर	26.045
32	ताजपुर	बाराचवर	गाजीपुर	26.045
33	बाभनजोत	बभनजोत	गोण्डा	26.040
34	पिपारी	नवाबगंज	गोण्डा	26.040
35	रमापुर	कटराबाजार	गोण्डा	26.040
36	रूपईडीहा	रूपईडीह	गोण्डा	26.040
37	सिधौती	बेलसर	गोण्डा	26.040
38	पिपराईच	पिपराईच	गोरखपुर	26.040
39	अहिरोरी	अहिरौरी	हरदोई	26.040
40	भारखानी	भरखनी	हरदोई	26.040
41	गौसगंज	कछौना	हरदोई	26.040
42	कोथावां	कोथावां	हरदोई	26.040
43	शाहाबाद	शाहाबाद	हरदोई	26.040
44	काल्पी	काल्पी	जालौन	26.040
45	सुईथाकलां	सुईथाकलां	जौनपुर	26.040
46	कल्यानपुर	कल्यानपुर	कानपुर नगर	26.040
47	नरवल	सरसौल	कानपुर नगर	26.040
48	कप्तानगंज	कप्तानगंज	कुशीनगर	26.040
49	रामकोला	रामकोला	कुशीनगर	26.040
50	तुर्कपट्टी	तमखुहीराज	कुशीनगर	26.040
51	विष्णुपुरा	विशुनपुरा	कुशीनगर	26.040
52	धानी	धानी	महराजगंज	26.040
53	लक्ष्मीपुर	लक्ष्मीपुर	महराजगंज	26.040
54	मिठौरा	मिठौरा	महराजगंज	26.040
55	निचलौल	निचलौल	महराजगंज	26.040
56	सदर	सदर	महराजगंज	26.040
57	भोजपुर	भगतपुर टॉण्डा	मुरादाबाद	26.040
58	चकफेरी	छजलैट	मुरादाबाद	26.040
59	कांठ	छजलैट	मुरादाबाद	26.040
60	कुंठरकी	कुन्दरकी	मुरादाबाद	26.040
61	नारायनपुर देवा	बिलारी	मुरादाबाद	26.040
62	ठाकुरद्वारा	ठाकुरद्वारा	मुरादाबाद	26.040
63	चरथावल	चरथावल	मुजफ्फरनगर	26.040
64	बरखेड़ा	बरखेड़ा	पीलीभीत	26.040

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

65	बिलसण्डा	बिलसण्डा	पीलीभीत	26.040
66	बीसलपुर	बीसलपुर	पीलीभीत	26.040
67	गांधीनगर	पूरनपुर	पीलीभीत	26.040
68	मझोला	अमरिया	पीलीभीत	26.040
69	सदर	मरौरी	पीलीभीत	26.040
70	मानगढ़	बाबागंज	प्रतापगढ़	26.040
71	कोहडौर	मगरौरा	प्रतापगढ़	26.040
72	रामपुरबावली	रामपुर संग्रामगढ़	प्रतापगढ़	26.040
73	सरायनाहर राज	मान्धाता	प्रतापगढ़	26.040
74	विश्वनाथगंज	मान्धाता	प्रतापगढ़	26.040
75	बड़ौत	हण्डिया	प्रयागराज	26.040
76	धनूपुर	धनूपुर	प्रयागराज	26.040
77	हण्डिया	हण्डिया	प्रयागराज	26.040
78	लालापुर	शंकरगढ़	प्रयागराज	26.040
79	लालगोपालगंज	कौडिहार	प्रयागराज	26.040
80	सहसों	सहसों	प्रयागराज	26.040
81	शुकुलपुर	मेजा	प्रयागराज	26.040
82	कटघर	डलमऊ	रायबरेली	26.040
83	बिलासपुर	बिलासपुर	रामपुर	26.040
84	सदर	चमरव्वा	रामपुर	26.040
85	कुसम्हा	बेलहरकलां	संत कबीर नगर	26.040
86	विसौवा	मेंहदावल	संत कबीर नगर	26.040
87	सदर	शामली	शामली	26.040
88	बराय जलालपुर	खैराबाद	सीतापुर	26.040
89	चांदपुर	रामपुर मथुरा	सीतापुर	26.040
90	महोली	महोली	सीतापुर	26.040
91	नेरी कलां	एलिया	सीतापुर	26.040
92	बिन्डमगंज	दुद्धी	सोनभद्र	26.040
93	बौरा जगदीशपुर	दोस्तपुर	सुल्तानपुर	26.040
94	कुदवार	कुड़वार	सुल्तानपुर	26.040
95	हसनगंज	हसनगंज	उन्नाव	26.040
96	मोहिद्दीनपुर	पुरवा	उन्नाव	26.040
योग-				**2500.00**

(रूपये पच्चीस करोड़ मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करने से वर्तमान में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो, यह सुनिश्चित किये जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(2) चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु जिला योजनाओं के जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी, वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिये। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी

गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले छः माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

(4) प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/निर्धारित मानकों के अधीन किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि से कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण/अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(13) प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों के अधीन जेम पोर्टल के अन्तर्गत/माध्यम से किया जायेगा।

(14) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में सुसंगत वित्तीय नियमानुसार अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित 01 प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 25,00,00,000 (रुपये पच्चीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 015 **लेखा शीर्षक** 4403001010800 पशु चिकित्सालयों का निर्माण-आर.आई.डी.एफ. (जिला योजना) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-707-X-2023-24, दिनांक-22 मार्च, 2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

<u>प्र0सं0-62/2024/552(1)/सैंतीस-2-2024/003-1(35)/2014टीसी1, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- निदेशक (प्रशासन एवं विकास)/वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/कार्यदायी संस्था।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्यवान सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।